न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
145/2022(रा.प्रा.प.) (GCMS 2022/145)	15.06.2022	15.12.2025

अनवान

1. शिशु कुमार नट पिता रणजीत नट, उम्र 32 वर्ष, निवासी कंजर बस्ती, भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. जस्सु पिता नारायण कंजर, उम्र वयस्क, निवासी कंजर बस्ती, भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. राजेश पिता कल्लू कंजर, उम्र वयस्क, निवासी कंजर बस्ती, भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. राजू पिता नारायण कंजर, उम्र वयस्क, निवासी कंजर बस्ती, भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. सिंदुरिया पिता लखमा कंजर, उम्र वयस्क, निवासी कंजर बस्ती, भावनाथ की खेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता चेना कालबेलिया, उम्र 51 वर्ष, निवासी भावनाथ की खेडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. प्रभुलाल पिता चेना कालबेलिया, उम्र वयस्क, निवासी भावनाथ की खेडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– श्री चन्दनमल जणवा — अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री छोगालाल जाट — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2
भैरूलाल सालवी — राजकीय अभिभाषक

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या कमांक/राजस्व/आ.आदेश/2021–2022/06 दिनांक 12.11.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 को मौजा भावनाथ की खेडी, पटवार हल्का भालुण्डी, तहसील भदेसर की बिलानाम आराजी संख्या 38 रकबा 0.88 है. में से रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण का काफी पुराना कब्जा है जिसकी कोई जांच पडताल नहीं थी। विपक्षी संख्या 01 व 02 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 05.08.2022 को विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 ने जवाब पेश नहीं किया जिससे विपक्षी संख्या 01 व 02 का जवाब बंद किया गया। विपक्षी संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी भदेसर की भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर मौजा भावनाथ की खेडी, पटवार हल्का भालुण्डी, तहसील भदेसर की बिलानाम आराजी संख्या 38 रकबा 0. 88 में से रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया है। विवादित बिलानाम आराजीयात प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात से लगी होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के नियमन योग्य भूमि होते हुये भी उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 01 व 02 के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 व 02 किसी भी स्थिति में आवंटन का पात्र नहीं है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 ने कथन किया कि भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगण को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा

सकता है, उक्त प्रकरण में भू–आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षीगण आवंटन की पूरी पात्रता रखते हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र के माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उज्र/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर फरमावें।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुना गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच–पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);

(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;

(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी भदेसर से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र/आवेदन पर दिनांक 12.11.2021 अंकित है जबकि उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा अपने आवंटन आदेश में आवेदन प्राप्त होने की तारीख दिनांक 22.10.2021 अंकित की गई है। आवेदन पत्र में पटवारी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 15 में क्या भूमि उद्घोषणा जारी की गई ? के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं। नियमानुसार आवंटन नियम 6 के अन्तर्गत नियम 5 में अनाधिकृत सरकारी भूमियों, सिंचित एवं असिंचित दोनों की प्रपत्र 1 में तैयार सूची का अपवर्जन तथा आरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई भी युक्ति–युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप–2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना

प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उक्त आवंटन आराजी संख्या 38 रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.62 हैक्टेयर किया गया है, ऐसी स्थिति 0.88 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 01 व 02 को आवंटित भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही आवंटित भूमि पर विपक्षीगण के कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य विपक्षीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 06/2021 दिनांक 12.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 06/2021 दिनांक 12.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार भदेसर को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2021 में दिनांक 12.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)